

मध्यप्रदेश शासन  
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग  
मंत्रालय भोपाल

भोपाल, दिनांक 14/02/2022

क्रमांक एफ 16-32/2021/बी-ग्यारह:- राज्य शासन एतद् द्वारा मेसर्स एस.आर.एफ. लि. (पैकेजिंग फिल्मस बिजनेस) द्वारा औद्योगिक क्षेत्र क्रमांक-3, पीथमपुर, जिला-धार में पोलिएस्टर पैकेजिंग फिल्म इकाई स्थापना हेतु पूर्व में आदेश दिनांक 10.08.2016 द्वारा स्वीकृत सुविधाओं के संबंध में पुनर्विलोकन अभ्यावेदन पर निर्णय लिया गया कि निम्नानुसार सुविधाएं दी जायें-

विद्युत टैरिफ की प्रतिपूर्ति- आदेश जारी होने के दिनांक से 7 वर्षों हेतु प्रचलित विद्युत टैरिफ में रुपये 1/- प्रति यूनिट की दर से छूट दी जाये। यह स्पष्ट किया जाता है कि यह छूट विद्युत नियामक आयोग द्वारा विद्युत टैरिफ पर दी जा रही छूट, यदि कोई हो तो, के अतिरिक्त होगी। उक्त छूट की प्रतिपूर्ति एमपीआईडीसी द्वारा संबंधित इकाई को की जाये।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम  
से तथा आदेशानुसार



(संजय कुमार शुक्ल)  
प्रमुख सचिव  
मध्यप्रदेश शासन

औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग  
भोपाल, दिनांक 14/02/2022

पृ.क्र. एफ 16-32/2021/बी-ग्यारह  
प्रतिलिपि,

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय भोपाल।
  2. उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
  3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, ऊर्जा विभाग, वाणिज्यिक कर विभाग, मंत्रालय, बल्लभ भवन, भोपाल।
  4. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश इण्डस्ट्रीयल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लि., भोपाल।
  5. आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर।
  6. कलेक्टर, जिला धार।
  7. आथोराइज्ड सिग्नेटरी, मेसर्स एस.आर.एफ. लि. (पैकेजिंग फिल्मस बिजनेस), ब्लॉक-सी, सेक्टर-5, गुडगांव, 1222003।
- की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।



प्रमुख सचिव  
मध्यप्रदेश शासन  
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग